न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 67/2017 — दायर दिनांक–11.04.2017

1. मस्ताराम पुत्र नाथ्या उर्फ नाथाराम (फौत)
   1/1 सोनी देवी पत्नी मस्ताराम
   1/2 महावीर प्रसाद पुत्र मस्ताराम
   1/3 राधेश्याम पुत्र मस्ताराम
   1/4 धापादेवी पत्नी बनवारी लाल पुत्रवुधु मस्ताराम
   1/5 हरिराम पुत्र बनवारीलाल पौत्र मस्ताराम
   1/6 विकास पुत्र बनवारीलाल पौत्र मस्ताराम
   1/7 मंजू पुत्री बनवारीलाल पौत्री मस्ताराम
   1/8 सुमन पुत्री बनवारीलाल पौत्री मस्ताराम
   1/9 सावित्री पुत्री बनवारीलाल पौत्री मस्ताराम
   1/10 गुलाबी देवी पुत्री मस्ताराम
   1/11 मंजू देवी पुत्री मस्ताराम
   1/12 संतोष देवी पुत्री मस्ताराम
   1/13 सीता देवी पुत्री मस्ताराम
2. जमनाराम पुत्र नाथ्या उर्फ नाथाराम जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादीगण

बनाम

1. मंदिर मूर्ति रघुनाथजी वाके ग्राम चिराना जरिये कनवीनर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी : – राज0 पैरो0

दावा : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 23.09.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम चिराना में एक मंदिर श्री रघुनाथजी का स्थित है जिसका पुजारी पहले लक्ष्मण पुत्र जैसा कौम ब्राह्मण था जिसको मरे हुये करीब 60–65 वर्ष हो गये। उसके बाद में मंदिर की पूजा कभी किसी से कभी किसी से [illegible] पुजारी तैय करके करवाते है।

ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि [illegible] खसरा नम्बर [illegible] बीघा 3 [illegible] 8 बिश्वा पुख्ता स्थित थी उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता नाथ्या उर्फ नाथाराम [illegible] श्योजी कौम माली की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी अर्थात उपरोक्त भूमि का खातेदार [illegible] वादीगण का पिता नाथ्या उर्फ नाथाराम पुत्र श्योजी था। उपरोक्त भूमि के दौराने भूप्रबन्ध कार्यवाही खसरा नम्बर बदले जाकर खसरा नम्बर 2215 रकबा 0.80 है0 डाले गये। उसके पश्चात राजस्व ग्राम चिराना से नया राजस्व ग्राम रामपुरा सृजित करने पर भूमि के खसरा नम्बर बदले जाकर नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.80 है0 डाले गये। इस प्रकार वादीगण राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 225 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 0.80 है0 के संबंध में उक्त वाद बाबद घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश कर रहे है।

नोटः– विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसको पहले वादीगण का पिता नाथ्या उर्फ नाथाराम काश्त करता था, वादीगण नाथ्या उर्फ नाथाराम के उत्तराधिकारी है जिसमें 1/2 हिस्से को वादी नं0 1 काश्त करता है तथा 1/2 हिस्सा वादी नं0 2 काश्त करता है इसी अनुसार कब्जा काश्त व हक अधिकार है।

राजस्थान प्रान्त मे पहले जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी तथा तमाम भूमियां उनके अधीन आती थी जिनका अपना पाना होता था। जागीरदार अपनी कृषि भूमियों को लगान के बदले में विभिन्न लोगो से काश्त करवाते थे इसी प्रकार पहले मूर्ति मंदिर व मंदिर की सेवा पूजा परवरिश खर्चे आदि के लिये तत्कालिन जागीरदार अपनी भूमियों को माफी में मंदिर को जिस प्रकार चारण भाट आदि को लगान लेने के लिए बता दिया करते थे उसी प्रकार मंदिर को भी भूमि कदे दिया करते थे भूमि उन्हें माफी में बताई जाती थी उसका लगान जागीरदार नही लेकर मंदिर का पुजारी सेवक मंदिर का खर्चा चलाने के लिए काश्तकार से जागीरदार की जगह खुद लगान मात्र वसूलता था और माफी में जो भूमि दी जाती थी उसका तात्पर्य यही था कि हम जागीरदारों ने आपके हक में लगान छोड़ दिया जो भूमि माफी में मंदिर को दी है उसका लगान पुजारी व सेवक प्राप्त करके उस खर्च से मंदिर का खर्चा सेवा पूजा करे सिर्फ मंदिर के खर्चे के लिए माफी भूमि का मंदिर का पुजारी लगान मात्र लेने का अधिकारी था अन्य किसी भी तरह हक अधिकार खातेदारी कब्जा काश्त मंदिर की नही होती थी। मंदिर व उसको कोई खातेदारी अधिकार नही दिये जाते थे न ही खातेदारी अधिकार थे उन्हे अन्य कोई अधिकार नही थे और ना ही ही मंदिर को अन्यथा कोई हक अधिकार होता था और इस प्रकार की भूमियों पर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया व जागीर रिज्यूम हुई तब उस भमि की खातेदारी खातेदार उपकृषक व काबिज काश्तकार को प्राप्त हो गई और काश्तकार खातेदार बन गया और पहले लगान मंदिर को देता था वह लगान उसी प्रकार राज्य सरकार को अदा करता रहा जो भूमि मंदिर की खुदकाश्त व खातेदारी की थी उस पर मंदिर को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये अन्य काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये। इस प्रकार की भूमि पर किसी को मूर्ति मंदिर नाबालिग होन के कारण खातेदारी प्रापत नही हुई। इस प्रकार मदिर मूर्ति खुद काबिज खातेदार काश्तकार जिन भूमि पर थी उस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुई। इस प्रकार मंदिर मूर्ति खुद काबिज खातेदार कातश्कार जिन भूमि पर थी उस भमि पर खातेदारी अधिकार प्रापत नही हुई परन्तु ऐसी भमियां जो मंदिर की खुदकाश्त की नही हो तथा अन्य काश्तकार काबिज हो अर्थात बाकी तमाम तरह की माफी भूमियो पर काश्तकारो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर जागीरी के समय से वादीगण का पूर्वज नाथ्या उर्फ नाथाराम काबिज काश्तकार था तथा वर्तमान में पैत्रिकता के आधार पर वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है और अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा घोषित खातेदारी के [illegible] राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। विवादित भूमि में 1/2 हिस्से [illegible] वादी नं0 1 [illegible] तथा [illegible] हिस्से का वादी नं0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कि[illegible]वे।

विवादित भूमि के संबंध में बने प्रथम [illegible] अभिलेख [illegible] 2015 में वादीगण के पूर्वज नाथ्या उर्फ श्योजी का नाम कृषक के रूप में दर्ज है सम्वत 2016 से 2019 में भी इसी अनुसार अंकन है तथा सम्वत 2020 से सम्वत 2032 तक बने राजस्व भू अभिलेख में वादीगण के पूर्वज का नाम कृषक के खाने में दर्ज है और जागीरदार लैण्ड लोर्ड के खाने में राजकीय दर्ज है अर्थात खाना नं0 4 में भूमि राजकीय तथा

ए.सी.ई.एम. (प.दे.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:38 IST
Reason: SelfAttested

खाना नं0 5 जो कृषक का है उसमें वादीगण के पूर्वज के नाम का अंकन दर्ज है। इस प्रकार से जागीरदारी निज्यूम हुई तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 दिनांक 15.10.1955 को प्रभाव में आया उसके पूर्व से ही वादीगण अथवा वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि पर काबिज काश्त व खातेदार है और विवादग्रस्त भूमि का लगान देते है।

गिरदावरी सम्वत 2009 से 2024 की विवादग्रस्त भूमि के संबंध में बनी है जिन्हें वादीगण वाद पत्र के साथ पेश कर रहे है जिसमें भी कब्जा काश्त वादीगण के पूर्वज नाथ्या का साबित है तथा काश्तकारी का अंकन दर्ज है। विवादग्रस्त सम्पति के संबंध में खाना नं0 6 में वादीगण के पूर्वज का नाम दर्ज है जो इस तथ्य को प्रमाणित करते है कि विवादग्रस्त सम्पति मंदिर की खुदकाश्त में कभी नही रही है बल्कि वादीगण के पूर्वज की काश्त में रही है तथा वर्तमान में वादीगण की काश्त है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथजी के नाम से दर्ज हो गई जिसे वादीगण अपने नाम से दुरूस्त करवाने तथा खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है जिसके लिए वाद पेश किया है।

नई पैमाईश सन् 1980 में आई और सन् 1985 में लागू हुई । उस पैमाईश को किसी की भी पुरानी खातेदारी समाप्त करने खसरा नम्बर खण्डित करने किसी को नई खातेदारी देने आदि का अधिकार नही था लेकिन नई पैमाईश मे राजस्व कर्मचारियों ने विधि विरूद्व बिना क्षैत्राधिकार के वादीगण के पूर्वज के नाम की खातेदारी विवादग्रस्त भूमि के संबंध में खत्म करके प्रतिवादी नं0 1 मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि मंदिर प्रतिवादी नं0 1 न तो कभी खातेदार रहा ना ही उसके कब्जे में विवादग्रस्त भूमि रही ना ही उसने कभी भूमि काश्त की ना ही उसने कभी लगान दिया और जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया व जागीरी रिज्यूम हुई तब वादग्रस्त भूमि की खातेदारी स्वतः ही वादीगण को प्राप्त हो गई लेकिन नई पैमाईश ने गलत रूप से जब खातेदारी वादीगण को प्रापत हो गई तो प्रतिवादी नं0 1 के नाम से दर्ज करने का अधिकार नही था जिनके लिये ना तो वादीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही कोई सूचना दी गई और गलत रूप से खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज कर दी गई जिससे वादीगण के अधिकारों पर क्लाउड आ गया है और काफी असुविधा व नुकशान हो रहा है। वादीगण न तो अपने कब्जे व खातेदारी भूमि में भूमि का विकास कर सकते है ना ही चारा रखने पशुओं को रखने के लिये निर्माण कर सकते है ना ही कोई सरकारी सुविधाओं को सरकार से प्राप्त कर सकते है अतिवृष्टि होने ओलोवृष्टि होने अकाल पड़ने आदि तरह की सरकार की सहायता प्रापत नही कर सकते है जिससे वादीगण को सख्त हकतलफी हो रही है। यहां तक कि वादीगण भूमि के आर्थिक फायदे के लिये अपनी खातेदारी की भूमि कहोते हुये भी गलत रिकॉर्ड केक कारण अगर बेचना चाहे तेा भी विक्रय नही कर सकते है। इस प्रकार हर तरह से वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार है इसलिए वादीगण अपने हक अधि... पेश किया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम रा... हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 225 की भूमि खसरा ... 450 रकबा 0.80 ... 1/2 हिस्से का वादी नं0 1 को तथा 1/2 हिस्से का वादी नं 2 को खातेदार काश्तकार ... घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व किरॉर्ड दुरूस्त किया जावे जिसके लिए प्रतिवादी नं0 ... तहरीर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से राज0 पैरो0 उपस्थित।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश नही करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी वकील वादी की ओर से शहादत वादी में सुरेन्द्र कुमार तथा बीरबल के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)

ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2067–70 से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत कृषि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 225 की भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 0.80 है0 स्थित है। वादी ने उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी नं0 1 को तथा 1/2 हिस्से का वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किये जाने की रिलिफ डिमाण्ड की है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादीगण की पैत्रिक संपति है तथा उक्त भूमि को वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे परन्तु पैमाइश के दौरान गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संबंध में वादी ने किसी प्रकार के दस्तावेजात् तथा शाक्ष्य पेश नही किये है ना ही वादी ने कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार के साक्ष्य पेश किये है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 225 की भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 0.80 है0 भूमि मंदिर श्री गोपीनाथजी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित नही होने से खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुंनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:38 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 67 / 2017 **(मस्ताराम आदि बनाम मंदिर मूर्ति रघुनाथजी आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.9.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

(सुशील कुमार सैनी)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:38 IST
Reason: SelfAttested